

विद्युत सेवा आयोग

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि०,
बी-17, जे-रोड, सेक्टर-सी, महानगर विस्तार, लखनऊ

(विज्ञापन सं० 12/विसेआ/2015/623..टीजी 2)

उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि० के अन्तर्गत विभिन्न विद्युत वितरण निगमों में समूह 'ग' की रिक्तियों हेतु उ०प्र० पावर कारपोरेशन से प्राप्त अधियाचन के अनुपालन में सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षा के द्वारा, निम्न निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हतायें रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित हैं। अन्य माध्यम से विद्युत सेवा आयोग कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा। श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है :

क्रम सं०	पद कोड	पद का नाम	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल रिक्तियाँ
1	121	तकनीशियन ग्रेड-2 (प्रशिक्षु)- विद्युत	313	168	130	12	623

- ❖ उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि० के पास सुरक्षित है।
- ❖ उक्त पदों पर आरक्षण उ०प्र० राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।
- 1. **वेतनमान:-** वेतन बैण्ड-1 में वेतनमान रू० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू० 2600 (अन्य भत्ते उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में लागू नियमानुसार होंगे)
- 2. **अनिवार्य शैक्षिक अर्हतायें:-**
आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास निम्न शैक्षिक अर्हता का पूर्ण होना अनिवार्य है।
(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा, विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक तथा इलेक्ट्रीशियन/ इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रिकल (कौशल विकास के अन्तर्गत विद्युत वितरण) ट्रेड में अखिल भारतीय/राज्य व्यवसायिक प्रमाण पत्र।
(2) "DOEACC" (वर्तमान में NIELIT) द्वारा निर्गत "CCC"/"O" लेवल "/ "A" लेवल "/ "B" लेवल अथवा "C" लेवल प्रमाण पत्र।
- 3. **आयु :** दिनांक 01-07-2015 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष
- 4. **आयु में अनुमन्य छूट :**
(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, 'अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर)' एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।
(ख) भूतपूर्व सैनिक (यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) को अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा सेना में की गयी पूर्ण वर्षों की सेवा की अवधि में तीन वर्ष जोड़ते हुए छूट अनुमन्य होगी।
(ग) अप्रेंटिसशिप एक्ट-1961 के अन्तर्गत अप्रेंटिस प्राप्त अभ्यर्थियों के निर्धारित आयु से अधिक होने की दशा में उन्हें प्रशिक्षण अवधि की सीमा तक (अधिकतम 2 वर्ष) अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता अनुमन्य होगी।



क

CA

5. **आरक्षण :-**(क) आरक्षण का लाभ लेने हेतु उ0प्र0 का मूल निवासी होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी के वे अभ्यर्थी जो उ0प्र0 के मूल निवासी नहीं हैं, केवल सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करें। (ख) अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन नियमानुसार किया जायेगा। (ग) भूतपूर्व सैनिक (यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) को नियमानुसार रिक्तियों का 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। (घ) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित को नियमानुसार रिक्तियों का 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा। (ङ) विकलांग अभ्यर्थियों हेतु उपरोक्त विज्ञापित पद उ0प्र0 शासन द्वारा आरक्षण हेतु चिन्हित नहीं हैं अतः विकलांग अभ्यर्थी कृपया आवेदन न करें। (च) चयन परिधि की सूची के अन्त में दो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं अन्य बातें समान होने पर अप्रेंटिस एक्ट-1961 के अन्तर्गत अप्रेंटिस प्राप्त अभ्यर्थियों को चयन में वरीयता प्रदान की जायेगी एवं यदि प्राप्तांक एवं अन्य बातें समान होने पर एवं अप्रेंटिस की अवधि भी समान हो तो ऊर्जा विभाग/ऊर्जा प्रतिष्ठान में की गयी अप्रेंटिस को वरीयता प्रदान की जायेगी।

6. **आवेदन शुल्क :** आवेदन शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) है।

1.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी (उ0प्र0 का मूल निवासी होना आवश्यक है।)	Rs. 700/-
2.	अन्य समस्त श्रेणी	Rs. 1000/-

(1) आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड अथवा स्टेट बैंक आफ इंडिया के चालान के माध्यम से जमा होगी, इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन शुल्क जमा नहीं होगा। जमा करने की विधि वेबसाइट www.uppl.org पर उपलब्ध है। बैंक चार्जज अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होंगे। (2) आवेदन शुल्क के मद में जमा की गयी धनराशि अप्रतिदेय (Non Refundable) है एवं किसी भी दशा में न तो वापस की जायेगी और न ही स्थानान्तरित अथवा किसी अग्रिम चयन हेतु सुरक्षित की जायेगी।

7. **अर्हताओं एवं अन्य प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण :-**

अभ्यर्थियों द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर लिखित परीक्षा में अस्थायी रूप से (provisionally) सम्मिलित किया जायेगा। अभ्यर्थियों के मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से अर्हता /चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जायेगा। विज्ञापित पद हेतु अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अर्हता सम्बन्धी योग्यता प्रमाण पत्र/ अंकपत्र/जाति प्रमाण पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र/ 'DOEACC'(वर्तमान में NIELIT) द्वारा निर्गत कम्प्यूटर सम्बन्धित प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र तथा भूतपूर्व सैनिक (यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) प्रमाण पत्र इत्यादि (जो अप्रासंगिक हों उन्हें छोड़कर) की एक-एक स्वयं सत्यापित एवं हस्ताक्षरित छायाप्रति आनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट के साथ जॉच के समय जमा करायी जायेगी। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से, श्रेष्ठता के आधार पर, रिक्तियों के दो अथवा तीन गुने अभ्यर्थियों को प्रथम चरणीय जॉच हेतु आमंत्रित किया जायेगा, जिसकी सूचना रजिस्टर्ड ई-मेल एवं एसएमएस द्वारा प्रेषित की जायेगी। शार्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को अर्हता सम्बन्धी अभिलेखों की प्रथम चरणीय जॉच में सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा कि स्थिति में चयन प्रक्रिया अपूर्ण होने के कारण उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना देने/प्राप्त होने पर, बिना सूचना के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थन निरस्त करने एवं चयन प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार सुरक्षित है।



स्पष्टीकरण नोट:—दूरस्थ शिक्षा माध्यम से अथवा अनुभव के आधार पर अथवा वांछित ट्रेड के अतिरिक्त समकक्ष तकनीकी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

8. **अनापत्ति प्रमाण पत्र :** यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
9. **चरित्र :** अभ्यर्थी को अपने पिछले शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य अथवा दो सम्मानित व्यक्तियों, जो सम्बन्धी न हो, द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा।
10. **वैवाहिक स्थिति :** ऐसे पुरुष/महिला अभ्यर्थी जो एक से अधिक विधि विरुद्ध जीवित पत्नी/पति रखते हो तथा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिनका विवाह विधि विरुद्ध ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पास पहले से एक या एक से अधिक जीवित पत्नी हो, चयन हेतु अर्ह नहीं होंगे।
11. **चयन प्रक्रिया :** चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। लिखित परीक्षा की अवधि एवं अन्य विवरण निम्नवत् है :-

पद का नाम	लिखित परीक्षा (अवधि-3 घंटे)	अंकों का विवरण
तकनीशियन ग्रेड-2 (प्रशिक्षु)- विद्युत	200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न-200 अंक (150 प्रश्न सम्बन्धित तकनीकी विषय, 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान, 15 प्रश्न कम्प्यूटर ज्ञान, 10 प्रश्न तार्किक ज्ञान एवं 10 प्रश्न सामान्य हिन्दी विषय से सम्बन्धित होंगे) प्रत्येक सही उत्तर पर 01 अंक दिया जायेगा एवं गलत उत्तर पर 0.25 अंक अतिरिक्त काटे जायेंगे।	लिखित परीक्षा - 200 अंक (लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।)

12. लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से, श्रेष्ठता के आधार पर, रिक्तियों के दो अथवा तीन गुने अभ्यर्थियों को शार्टलिस्ट कर अर्हता सम्बन्धी अभिलेखों की जाँच हेतु आमंत्रित किया जायेगा। शार्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को जाँच प्रक्रिया में सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा कि स्थिति में चयन प्रक्रिया अपूर्ण होने के कारण उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको की श्रेष्ठता के आधार पर, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्यानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी।
13. **परीक्षा स्थान:-** परीक्षाएँ लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गाज़ियाबाद, नोयडा, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ एवं कानपुर शहरों में होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला अथवा घटाया/बढ़ाया जा सकता है।
14. **आवेदन कैसे करें:** कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org को खोलें एवं टैब "APPLY ONLINE AGAINST ADVT NO. '12/VSA/2015/TG2' FOR THE POST OF TG-2" पर क्लिक करें तथा खुलने वाले नये वेब पेज पर "How to Apply" पर क्लिक कर प्रक्रिया को भली-भाँति समझें एवं आवेदन पत्र को निर्देशानुसार पूर्ण करें। अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे अपना रजिस्टर्ड ई-मेल एवं मोबाइल नम्बर को अन्तिम परीक्षाफल आने तक सजीव रखें। परीक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना इन्हीं के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।
15. **प्रवेश पत्र :** लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये रजिस्टर्ड ई-मेल पर प्रेषित किये जायेंगे। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र वेबसाइट www.uppcl.org से अथवा रजिस्टर्ड ई-मेल पर प्रेषित लिंक के द्वारा डाउनलोड करना होगा। Admit Card डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे।
16. **अन्य विवरण:** व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से कार्यालय में भेजे गये आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। सभी प्रासंगिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ तथा उपरोक्त बिन्दु 7 के अनुसार छायाप्रतियाँ मूल आवेदन पत्र के साथ, जाँच के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में अथवा प्रस्तुत अभिलेख गलत पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

जायेगा। अभिलेखों की जाँच विभिन्न स्तरों पर की जायेगी। नियुक्ति से पूर्व किसी भी स्तर पर गलत सूचना देने/प्राप्त होने पर, अर्हता पूर्ण न पाये जाने पर, अभ्यर्थन/चयन बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है। आवेदन सम्बन्धी पूछताछ हेतु helpdesk.tg1215@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। सभी पत्राचार आवेदन पत्र में भरे गये पत्राचार के पते पर ही किये जायेंगे। उपर्युक्त विज्ञापन बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। विज्ञापन का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट www.uppcl.org पर देखा जा सकता है।

- 17 **पारदर्शिता:**— परीक्षा की पारदर्शिता हेतु निम्न व्यवस्थायें की गई हैं:—

प्रश्नपत्र का सही हल, परीक्षा की समाप्ति से 02 दिन के अन्दर, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा एवं अपलोड की तिथि से 03 दिन तक का समय साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज कराने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

- 18 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र केवल लखनऊ होगा।

19. महत्वपूर्ण तिथियाँ :

क्र०सं०	विवरण	अवधि
1	आवेदन शुल्क जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की अवधि	दिनांक 05.01.2016 से 05.02.2016 तक

आवेदन सम्बन्धी पूछताछ हेतु E-Mail : helpdesk.tg1215@gmail.com

सचिव



ESCC